

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1508 /

जबलपुर, दिनांक 16/3 /2021

दो-14-131/2019

श्रीमती शिल्पा ऋषि सिंह, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 18.01.2021 से 17.02.2021 तक 31 दिन में से दिनांक 28.01.2021 से 17.02.2021 तक का अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38 के अनुसार दिनांक 28.01.2021 से 26.07.2021 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

सही/-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/1509 /

जबलपुर, दिनांक 16/3/2021

दो-14-131/2019

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती शिल्पा ऋषि सिंह, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(दीपक बंधारी)  
रजिस्ट्रार (न्या.-एक)

H